उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-21/2021/655/33-3-2021-212/2021

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2021

अधिसूचना संख्या-655/33-3-2021-212/2021 दिनांक 17 मार्च, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज **(**स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन**)** **(**बारहवां संशोधन**)** नियमावली, 2021 (हिन्दी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की (हिन्दी/अंग्रेजी) की 02 प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर नियमावली की 1000 प्रतियाँ पंचायती राज अनुभाग-3 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. कम्प्यूटर सहायक को इस आशय से कि इसे शासनादेश की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Panchayati Raj Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification no-655/33-3-2021-212/2021 dated March 17 ,2021

NOTIFICATION

No. 655/ 33-3-2021-212/2021

Lucknow Dated March 17 , 2021

In exercise of the powers under section 110 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act no .26 of 1947) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994:-

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (RESERVATION AND ALLOTMENT OF SEATS AND OFFICES) (TWELFTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices)(Twelfth Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule 2 after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
(d) 'previous election' means the General Election of 2015 and the subsequent General Elections.

By Order,

Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग-3

संख्या :655/33-3-2021-212/2021

लखनऊ, दिनांक: 17 मार्च, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा 110 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज **(**स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन**)**

(बारहवां संशोधन**)** नियमावली**, 2021**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम **2** का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में, नियम 2 में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात:-

(घ) 'पूर्ववर्ती निर्वाचन' का तात्पर्य सामान्य निर्वाचन, 2015 और पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचनों से है।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in